FORM 111
फर्द अहकाम
(नियम -- 28)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना

साहिब कौर बनाम भूमिधारी

मुकदमा :- प्रार्थना पत्र 128 रा.भू.रा.अधिनियम मुकदमा नम्बर 902 सन् 2023 जीसीएमएस नं.

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
रिपोर्ट सरिस्ता होकर प्रार्थना पत्र धारा 128 रा.भू.रा.अधिनियम पेश हुआ । वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन/रजिस्टर्ड सम्मन तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 08.12.2023 को पेश हो। (राजवीर सिंह यादव) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (राज.) 8/12/23 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 15/2/24 को पेश हो। 15/2/24 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 11/3/24 को पेश हो। प्रा0 पत्र संख्याः– 902/2023 उनवान साहिब कौर बनाम भूमिधारी 11/3/24 पत्रावली पेश हुयी। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी सं. 1 की तामील सम्यक रूप से हो चुकी है बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित। अतः अप्रार्थी सं. 1 के विरूद्व एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि प्रार्थना पत्र में दर्ज भूमि ख.न. 966 रकबा 2.03 हैक्ट. ग्राम राणासर पटवार हल्का आगवाडी तहसील नीमकाथाना के प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। भूमि का तहसीलदार, नीमकाथाना के आदेश से 07.07.2023 को सीमाज्ञान करवाया गया है। अतः मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी के आदेश पारित किये जावे। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उप[illegible] व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। [illegible] भूमि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड राजस्व [illegible] राणासर पटवार [illegible] आगवाडी तहसील नीमकाथाना स्थित भूमि [illegible] नं. 966 रकबा 2.03 हैक्ट. प्रार्थी की खातेदारी भूमि है। अतः प्रार्थी व पड़ोसी [illegible]तेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत् पत्थरगढी स्वीकार किये जाने योग्य है। (राजवीर सिंह यादव) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (राज.)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.07.16 16:38:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम राणासर पटवार हल्का आगवाड़ी तहसील नीमकाथाना स्थित भूमि खसरा नं. 966 रकबा 2.03 हैक्ट. का प्रार्थी व पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान, मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 07.07.2023 पत्थरगढ़ी की जावे। दौराने पत्थरगढ़ी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावें। तहसीलदार नीमकाथाना को इस हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली बाद फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.07.16 16:38:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner